परिपत्र सं. 73/47/2018-जीएसटी

फा.सं. 20/16/04 / 2018- जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवंबर, 2018

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त केंद्रीय कर,
(सभी)
प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: डेल-क्रेडियर एजेंट के संदर्भ में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची -I के तहत प्रधान तथा एजेंट के संबंध के दायरे के विषय में।

फा. सं. सीबीईसी/20/16/4/2018- जीएसटी, के द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2018 के परिपत्र सं. 57/31/2018- जीएसटी के जारी किये जाने के बाद से डेल-क्रिडेयर एजेंट (एतद्पश्चात "डीसीए" के रूप में संदर्भित) के संदर्भ में जीएसटी के तहत प्रधान-एजेंट संबंध के दायरे और सीमा के संबंध में व्यापार और उद्योग के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मुद्दों को स्पष्ट करने हेतु तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यान्वयन एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (एतद्पश्चात "सीजीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 168(1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अगले अनुच्छेदों में इस विषयों को स्पष्ट किया।

2. वाणिज्यिक व्यापार की भाषा में, डीसीए एक विक्रेय एजेंट है, जोकि प्रधान की और से संभावित खरीदारों से संपर्क करके वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने में सहायता करने के लिए प्रधान द्वारा लगाया गया है। वह कारक जो डीसीए को अन्य एजेंटों से अलग करता है, वह यह है कि डीसीए आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गारंटी देता है। ऐसे मामलों में, जहाँ खरीदार प्रधान को नियत तिथि तक भुगतान नहीं कर पाता तो डीसीए खरीदार की ओर से प्रधान को भुगतान करता है (असल में खरीदार के दावारा किए जाने पर बीमा प्रदान करता है) और इसी वजह से डीसीए को दिया जाने वाला कमीशन एक सामान्य एजेंट को दिए जाने वाले कमीशन से अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। आपूर्तिकर्ता को समय पर भुगतान किए जाने की गारंटी देने के लिए डीसीए विभिन्न तरीकों का सहारा ले सकता है जिसमें खरीदार को अल्पकालीन लेन-देन आधारित ऋण प्रदान करने तथा बाद की तारीख में कुछ ब्याज के साथ खरीदार से राशि वसूल करना शामिल है। यह ऋण खरीदार को डीसीए और खरीदार के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हुई दर पर डीसीए को ब्याज सहित लौटानी होती है। प्रधान द्वारा प्राप्तकर्ता को की जा रही आपूर्ति के मूल्यांकन के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जहाँ ऐसी आपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया भुगतान डीसीए द्वारा प्रदान किए गए ऋण के माध्यम से या डीसीए द्वारा स्वयं किया गया हो। ऐसी ऋण व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की जांच-पड़ताल करवाई गई है और उस पर स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	मामले	स्पष्टीकरण
1.	क्या डीसीए सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूचि-I के पैरा 3 के तहत एजेंट के दायरे में आता है	जैसा कि पहले ही दिनांक 4 सितम्बर, 2018 के परिपत्र सं. 57/31/2018-जीएसटी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि डीसीए सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूचि-I के पैरा 3 के तहत एजेंट के दायरे में आएगा या नहीं, यह निम्नलिखित संभावित मामलों पर निर्भर करता हैः- • ऐसे मामले में, जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा ग्राहक को या तो स्वयं या डीसीए के माध्यम से माल की आपूर्ति के लिए चालान जारी किया जाता है, वहाँ डीसीए एजेंट के दायरे में नहीं आता है। • ऐसे मामलों में, जहां डीसीए द्वारा माल की आपूर्ति के लिए चालान अपने नाम से जारी किया जाता है, वहाँ डीसीए एजेंट के दायरे में आएगा।
2	क्या डीसीए द्वारा प्राप्तकर्ता (खरीदार) को दिया गया अस्थायी अल्पकालिक लेन-देन आधारित ऋण, जिसके लिए डीसीए द्वारा ब्याज वसूला जाता है, आपूर्तिकर्ता (प्रमुख) द्वारा आपूर्ति किए जा रहे माल के मूल्य में शामिल किया जाना है, जहाँ डीसीए सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची I के	ऐसे मामले में निम्नलिखित कार्य हो रहे हैः 1. आपूर्तिकर्ता (प्रमुख) से प्राप्तकर्ता को माल की आपूर्ति; 2. डीसीए से आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता या दोनों को एजेंसी सेवाओं की आपूर्ति; 3. डीसीए द्वारा प्राप्तकर्ता को ऋण सेवाओं के विस्तार की आपूर्ति। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे

	पैरा 3 के तहत एजेंट नहीं है?	मामलों में जहां डीसीए सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची I के पैरा 3 के तहत एजेंट नहीं है, खरीदार को डीसीए द्वारा प्रदान किया जा रहा अस्थायी अल्पकालिक लेन-देन आधारित ऋण डीसीए द्वारा प्रधान से प्रधान आधार पर प्राप्तकर्ता को सेवा की आपूर्ति है और एक स्वतंत्र आपूर्ति है। इसलिए, डीसीए द्वारा लिया जा रहा ब्याज आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई (खरीदार को) माल की आपूर्ति के मूल्य का हिस्सा नहीं बनेगा। यह नोट किया जा सकता है कि अधिसूचना संख्या 12/2017 / केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 (क्रम संख्या 27), के तहत जमा राशि, ऋण या अग्रिम के माध्यम से सेवाएं, ब्याज या छूट का तरीका (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में शामिल ब्याज के अलावा) को छूट दी गई है।
3.	जहाँ डीसीए सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 3 के तहत एक एजेंट है और खरीदार की ओर से प्रधान को भुगतान करता है और खरीदार पर आपूर्ति की जा रही वस्तुओं के मूल्य के साथ-साथ विलंबित भुगतान के लिए ब्याज लगाता है, क्या ब्याज माल की आपूर्ति के मूल्य का हिस्सा होगा अथवा नहीं होगा?	ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित कार्य हो रहे हैं: 1. डीसीए को आपूर्तिकर्ता (प्रमुख) द्वारा माल की आपूर्ति; 2. डीसीए द्वारा प्राप्तकर्ता को माल की आगे की आपूर्ति; 3. डीसीए द्वारा आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता या दोनों को एजेंसी सेवाओं की आपूर्ति; 4. डीसीए द्वारा प्राप्तकर्ता को ऋण का विस्तार।

		यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां डीसीए सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची I के पैरा 3 के तहत एक एजेंट है, तो डीसीए द्वारा खरीदार को प्रदान किया जा रहा अस्थायी अल्पकालिक लेनदेन आधारित ऋण, अब स्वतंत्र आपूर्ति नहीं है और इसे डीसीए द्वारा प्राप्तकर्ता को माल की आपूर्ति में शामिल किया जाता है। यह जोर दिया जाता है कि डीसीए द्वारा प्राप्तकर्ता को ऋण के विस्तार के कार्य को एक अलग आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह डीसीए द्वारा प्राप्तकर्ता को दिए गए माल की आपूर्ति के संदर्भ में है। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के क्रेडिट के लिए लगाए गए ब्याज के मूल्य को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसार डीसीए द्वारा प्राप्तकर्ता को माल की आपूर्ति के मूल्य में शामिल करने की आवश्यकता होगी।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

4. उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो कृपया बोर्ड के ध्यान में लाई जाए।

(उपेन्द्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)